न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर) ,बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः– 70/2021
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2021/136

1 राजकिशोर पुत्र श्री जुगल किशोर, जाति राजपुरोहित, उम्र 46 वर्ष, निवासी न्यू कोर्ट बिल्डिंग के सामने, सदर थाना रोड़, बीकानेर।

–वादी–

–बनाम–

1 छगनाराम पुत्र आदुराम, जाति कुम्हार, निवासी खारी चारणान, तहसील व जिला बीकानेर।
2 बुधाराम पुत्र आदुराम, जाति कुम्हार, निवासी खारी चारणान, तहसील व जिला बीकानेर।
3 तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर।
4 हल्का पटवारी, जयमलस, तहसील व जिला बीकानेर।
5 थानाधिकारी, पुलिस थाना, नाल, बीकानेर।
6 थानाधिकारी, पुलिस थाना, गजनेर, बीकानेर।

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–
1 **श्री मुकेश आचार्य, अभिभाषक, वादी के लिए।**
2 **प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय।**
3 **प्रतिवादी राज्य की ओर से पेरोकारराज।**
4 **प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ओपचारिक पक्षकार।**

–:निर्णयः–

दिनांकः– 4/1/23

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की कृषि भूमि वाके ग्राम शरहबोरला, पटवार हल्का जयमलसर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाल बड़ी, तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नं. 176 में कुल तादादी 12.6500 हैक्टेयर, अर्थात् 50.094 बीघा भूमि जिसके नया खाता संख्या 78, पुराना खाता संख्या 30 हैं, में स्थित है। जिस पर वादी बहैसियत कब्जा काश्त है तथा वादी के नाम से जमाबन्दी बनी हुई है, जो वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। वादी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में अपने दादा के समय से कब्जा काश्त है। वादी

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

के दादा पश्चात उक्त कृषि भूमि वादी के पिता के हक व हिस्से मे आई तथा वादी के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उक्त कृषि भूमि वादी को दिनांक 06.03.2013 के द्वारा विक्रय कर दी। जो बैयनामा उप-पंजीयक कार्यालय, बीकानेर के पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1481, पृष्ठ संख्या 183 क्रम संख्या 2013003983 पर पंजीबद्धशुदा है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3969 के पृष्ठ संख्या 267 से 274 पर चस्पाशुदा है। उक्त बैयनामा वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई हैं तथा खारी चारणान गांव के निवासीगण है तथा वादी के चिपते खेत पडौसी है। प्रतिवादी संख्या 1 छगनाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 875/493 कुल तादादी 1.3024 हैक्टेयर है, जो ग्राम, खारी चारणान, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के हल्के में आती हैं। जो वादी का चिपता खेत पड़ौसी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 बुधाराम की कृषि भूमि खसरा नंबर 862/859 कुल तादादी 1.9854 हैक्टेयर है, जो ग्राम, खारी चारणान, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के हल्के में आती है। जिसका नक्शा वास्ते अवलोनार्थ प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जानबूझकर अपनी कृषि भूमि की हद तोड़कर वादी की कृषि भूमि में जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है तथा वादी की कृषि भूमि में घुसकर वादी की सीमा में लगी पट्टियों को तोड़ दिया एवं पट्टियों को उखाड़कर ले गये तथा जबरदस्ती अवैद्य काश्त चुपचाप कर ली। जिसकी सूचना वादी को दिनांक 12.10.2021 को प्राप्त हुई, जिस पर वादी द्वारा पुलिस थाना नाल में इत्तला दी गई, पुलिस थाना नाल, बीकानेर ने वादी को बताया कि वादी की कृषि भूमि का हल्का पुलिस थाना गजनेर के अन्तर्गत आता है। पुलिस थाना गजनेर में इत्तला देने पर वादी को थाने में यह कहा गया कि आपका हल्का नाल थाने के अन्तर्गत ही आता है। वादी के आग्रह पर दिनांक 14.10.2021 को पुलिस थाना, गजनेर व पुलिस थाना, नाल ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हिदायत दी कि वादी की कृषि भूमि में जबरन प्रवेशन ना करे, ना ही वादी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई बिजान करे, ना ही मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पट्टियां टूटी हुई थी। जिसके फोटोग्राफस वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यह कि दिनांक 16.10.2021 को पुलिस थाना, गजनेर व पुलिस थाना, नाल द्वारा संयुक्त मिटिंग

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

करके यह तय हुआ कि वादी की कृषि भूमि पुलिस थाना नाल के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी की कृषि भूमि का पटवार हल्का जयमलसर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाल बड़ी, तहसील व जिला बीकानेर है। यह कि दिनांक 18.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी की भूमि मे जबरन प्रवेश कर अतिक्रमण करके वादी की भूमि पर बलियां लगा दी, जिसकी इत्तला मिलने पर वादी दिनांक 19.10.2021 को मौके पर गया, तो वहा पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिले। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ओलभा दिया कि '' आपने दिनांक 16.10.2021 को पुलिस के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम वादी की कृषि भूमि में प्रवेश नही करेंगे तथा ना ही उक्त कृषि भूमि मे बिजान करेंगे, ना ही अवैध बिजान किये हुए क्षेत्र में आयेंगे। अब आप बलियां क्यों लगा रहे हैं।'' इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को मौके पर ही ऐलानिया धमकी दी कि व मौके से भाग जाये, अन्यथा उसे यही खेत में ही खत्म कर देंगे तथा यह भी धमकी दी कि वह वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 176 पर पूरा ही अतिक्रमण करेंगे, वादी को जो करना हो, वो कर लेवे। पहले भी इस गांव में हमारी जाति के लोगों द्वारा मर्डर किया हुआ है। अब ज्यादा पंचायती करोगे तो एक मर्डर फिर हो जायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन मौके पर कब्जा करेंगे, मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे। यह कि तब वादी उसी रोज दिनांक 19.10.2021 को सवेरे ही पुलिस थाना नाल पहुंचा तथा पुलिस थाना नाल के साथ मौके पर पहुंचा। तब तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके से भाग चुके थे। इस पर पुलिस थाना नाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नाल थाने बुलाया गया पर वे नहीं आये। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने मोबाईल नंबर 8875092183 से वादी के मोबाईल नंबर 9462741611 पर दिन में 11:08 बजे फोन कर वादी को यह धमकी दी कि पुलिस को पैसे देकर बार–बार क्यों बुला रहे हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम मौके पर तारबन्दी करेंगे, रोक सको तो रोक कर दिखा देना, पुलिस को हम जेब में रखते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 19.10.2021 को लगातार दी गई धमकी से वादी को यह हक, अधिकार उत्पन्न हो गया कि वह सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में दावा स्थाई चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुतकर डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की प्राप्त करे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की कृषि भूमि जिसका

सहायक कलक्टर
बीकानेर_शहर

1/2

विवरण दावा के पैरा संख्या 1 में निम्न प्रकार से दर्ज है कि कृषि भूमि वाके ग्राम शरहबोरला, पटवार हल्का जयमलसर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाल बड़ी, तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 176 में कुल तादादी 12.6500 हैक्टेयर, अर्थात् 50.094 बीघा भूमि जिसके नया खाता संख्या 78, पुराना खाता संख्या 30 है, में स्थित है। से प्रतिवादीगण वादी को जबरिया बेदखल नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन प्रवेश नहीं करे, जबरन काश्त नहीं करे, ना ही तारबन्दी करे, ना ही वादी को अपनी कृषि भूमि में काश्त करने से रोके, ना ही वादी के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न करे, ना ही वादी को अपनी कृषि भूमि की तारबन्दी व सुरक्षा करने से रोके, ना ही कोई ऐसा कोई कृत्य, अकृत्य करे जिससे वादी के हक–हकूकों पर बूरा असर पड़ता हो, एवं डिक्री आज्ञापक व्यादेश बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 3 व 6 इस आशय की प्राप्त करे कि मौका व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करे तथा मौके का सही सीमाज्ञान पत्थर गढ़ी करवाकर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। वादी की उपरोक्त कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसका इन्तकाल व जमाबन्दी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका वादी काबिल कब्जा काश्त है तथा वादी की कृषि भूमि पर वादी को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जयपुर रोड़, बीकानेर द्वारा के.सी.सी. का ऋण प्राप्त है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है। यदि वादी की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन कब्जा कर लेते है, वादी को बेदखल कर देते है, वादी की कृषि भूमि को कम कर देते हैं, तो वादी को ना पूरा होने वाला अहम नुकसान कारित होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों–पैसों से नहीं आंकी जा सकती। इसलिए अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादी के पक्ष में है। वादी अपनी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जानबूझकर वादी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है यदि वादी को जबरिया उसकी कृषि भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, तो वादी को प्रतिवादीगण की तुलना में ज्यादा असुविधा होगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। दावा स्थाई चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की प्राप्त करे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की कृषि भूमि जिसका विवरण दावा के पैरा संख्या 1 में निम्न प्रकार से दर्ज है कि " कृषि भूमि वाके ग्राम शरहबोरला, पटवार हल्का

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

जयमलसर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाल बड़ी, तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 176 मे कुल तादादी 12.6500 हैक्टेयर अर्थात 50.094 बीघा भूमि जिसके नया खाता संख्या 78, पुराना खाता संख्या 30 है, में स्थित है।" से प्रतिवादीगण वादी को जबरिया बेदखल नही करे, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन प्रवेश नहीं करे, जबरन काश्त नहीं करे, ना ही तारबन्दी करे, ना ही वादी को अपनी कृषि भूमि मे काश्त करने से रोके, ना ही वादी के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न करे, ना ही वादी को अपनी कृषि भूमि की तारबन्दी व सुरक्षा करने से रोके, ना ही कोई ऐसा कोई कृत्य, अकृत्य करे जिससे वादी के हक–हकूकों पर बुरा असर पड़ता हो। यह कि डिक्री आज्ञापक व्यादेश बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 इस आशयकी प्राप्त करे कि मौका व रिकॉर्ड मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करे तथा मौके का सही सीमाज्ञान पत्थर गढ़ी करवाकर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

2 बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि ग्राम शरहबोरला के ख.न. 176 तादादी 12.65 है0 वादी की खातेदारी भूमि है, जो वादी को जरिये गीफ्ट डीड अपने पिता जुगल किशोर से प्राप्त हुई। वादी का वादगत भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी की भूमि पर जबरन कब्जा ना करे।

3 बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादगत भूमि ग्राम शरहबोरला खं. न. 176 तादादी 12.65 है0 वादी की खातेदारी भूमि है, जिसके साक्ष्य में जमाबंदी सं. 2073–76 खाता सं. नया 78, प्रदर्श–2 पेश की। उक्त भूमि वादी को जरिये गीफ्ट डीड अपने पिता से प्राप्त हुई। जिसके साक्ष्य में रजिस्टर्ड गीफ्ट डीड उप–पंजीयक कार्यालय, बीकानेर के पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1481, पृष्ठ संख्या 183 क्रम संख्या 2013003983 पर पंजीबद्धशुदा है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3969 के पृष्ठ संख्या 267 से 274 पर चस्पाशुदा की प्रमाणित प्रति, जो प्रदर्श–1 है, पेश की। प्रदर्श–3 नक्शा ख.न. 176, प्रदर्श–5 कार्यालय तहसीलदार (भू–अभिलेख) बीकानेर आदेश क्रमांक तबी/भूअ./2021/8644

सहायक कलक्टर
बीकानेर_शहर

दिनांक 12.11.2021 जिसके द्वारा ख.न. 176 के सीमाज्ञान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया गया। प्रदर्श-4, फर्द मौका रिपोर्ट जिसमें प्रदर्श-5 की अनुपालना में ख.न. 176 का सीमाज्ञान बटवाया गया। उपरोक्त साक्ष्य के एवं बहस वादी वकील वादी के आधार पर वादगत भूमि ग्राम शरहबोरला ख.न. 176 तादादी 12.65 है. वादी की खातेदारी भूमि है, जिसका सीमाज्ञान होने के उपरान्त वादी अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त है, वादगत भूमि से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का कोई संबंध प्रकट नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी किया जाना वादी के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध है। अतः वादी खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 व 2 डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा का हकदार है। प्रतिवादी सं. 3 ता 6 वाद में औपचाारिक पक्षकार है, जिनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

4 उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की दी जाती है कि प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि ग्राम शरहबोरला के खं. न. 176 तादादी 12.65 है. कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य करें, जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी है।

5 निर्णय व डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो। आदेश दिनांक 04.01.2023 जो मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दु खत्री)
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(शहर), बीकानेर

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत.......... सहायक कलक्टर ....मुकाम..........बीकानेर

बइजलास : बिन्दु खत्री, आर.ए.एस.

राजकिशोर — : बनाम : — छगनाराम वगै०

राजस्व वाद संख्या:— 70/2021

आर.सी.एम.एस. नं.:—2021/0136

दावा अन्तर्गत धारा:— 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मुकेश आचार्य, अभिभाषक वादी, प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 ता 6 एकपक्षीय मिनजानिब मुदई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की दी जाती है कि प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि ग्राम शरहबोरला के ख. न. 176 तादादी 12.65 है. कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य करें, जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। निर्णय, डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय व डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक को डिक्री जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर)

दस्तखत.......(हस्ताक्षर)

ओहदा..सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

मुदई	रूपया	नं.पै.	मुदायला	रूपया	नं.पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को चाहे गिरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

दस्तखत.......(हस्ताक्षर)

ओहदा.......सहायक कलक्टर बीकानेर शहर